

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
विकास आयुक्त का कार्यालय,
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र
अंधेरी (पूर्व), मुंबई:-400096

दूरभाष सं. 022-28294799 फ़ैक्स: 022-28291754/1385
ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in वेबसाईड: www.seepz.org

फा.सं.सीपज़-सेज/सुरक्षा/वि.वि./ 29/2016-17/पार्ट फाईल/22405 दि. 30.08.2018

सूचना

विषय :- दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या - 2 से
समय सुबह 7.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश/निकास अनुमती के संबंध में।

द्वार संख्या-1 के बाहरी बाजू का मेट्रो निर्माण का काम शुरू होने से सीपज़-सेज के सभी
युनिट कर्मचारियों को दो पहिया / चार पहिया वैध वाहन से प्रवेश / निकास करने से होनेवाली
असुविधा को मदे नजर रखते हुए उनका प्रवेश सरल सुरक्षित होने हेतू सभी युनिटों के दो पहिया
/ चार पहिया वैध वाहन पास धारक कर्मचारियों को द्वार संख्या-2 से समय सुबह 7.30 बजे से
दोपहर 12.30 बजे तक प्रवेश / निकास की अनुमती दी जाती है।

इसकी कालावधी एक माह दिनांक 01-09-2018 से 30-09-2018 तक वैध रहेगी।

इसे मा.विकास आयुक्त महोदय,सीपज़-सेज का अनुमोदन प्राप्त है।

पी.एल.मुथु
(पी. एल. मुथु) 11/9/18
सहा. सुरक्षा अधिकारी
सीपज़-सेज

प्रतिलिपी,

4. सुरक्षा अनुभाग,
5. आयटी अनुभाग सीपज़-सेज वेबसाईड पर अपलोड करे।
6. आउटलुक

का. 4/18